भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 542

उत्तर देने की तारीख 06 फरवरी, 2024
17 माघ, 1945 (शक)

भारतीय कुश्ती महासंघ की नवनिर्वाचित कार्यकारी समिति का निलंबन

542. श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः
श्री एस. वेंकटेशन:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की नवनिर्वाचित कार्यकारी समिति के निलंबन के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह निर्णय 2016 ओलंपिक की एक कांस्य पदक विजेता जिसने कुश्ती छोड़ दी की घोषणा की पृष्ठभूमि में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा तत्कालीन कुश्ती महासंघ अध्यक्ष द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खेल मंत्रालय डब्ल्यूएफआई के कामकाज की निगरानी कर रहा है क्योंकि इसके पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार डब्ल्यूएफआई की संरचना और कार्य में सुधार करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (च) : प्रतिष्ठित महिला पहलवानों सहित कुछ पहलवानों ने जनवरी, 2023 में भारतीय कुश्ती परिसंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, मनमानी और कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन/ धरना दिया । चूंकि, यह मामला एथलीटों की भलाई से संबंधित था, इसलिए भारत सरकार ने तत्काल आरोपों का संज्ञान लिया और डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति को परिसंघ के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के प्रशासन और प्रबंधन से दूर रहने का निर्देश दिया । इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रतिष्ठित खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए यौन कदाचार, उत्पीड़न और/ या धमकाने, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक चूकों के आरोपों की जांच करने के लिए पूर्णतया एक अंतरिम उपाय के रूप में 23.01.2023 को एक ओवरसाइट समिति की नियुक्ति की । बाद में, 03.05.2023 को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने एथलीटों के चयन और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए प्रविष्टियां करने तथा डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के चुनाव आयोजित कराने सहित डब्ल्यूएफआई के कामकाज के प्रबंधन के लिए एक तदर्थ समिति नियुक्त की ।

21.12.2023 को चुनाव आयोजित किए गए । तथापि, डब्ल्यूएफआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष की ओर से कुछ मनमानी और अनधिकृत कार्यों के कारण, सरकार ने 24.12.2023 को डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति को परिसंघ के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के प्रशासन और प्रबंधन से दूर रहने का निर्देश दिया क्योंकि ये कार्य सुशासन के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं । इसके बाद, 27.12.2023 को, आईओए ने एक तदर्थ समिति नियुक्त की जिसे डब्ल्यूएफआई के संचालन की देखरेख और पर्यवेक्षण जैसे एथलीटों का चयन, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए एथलीटों की प्रविष्टियां जमा करना, खेल कार्यकलापों का आयोजन, बैंक खातों की हैंडलिंग आदि का कार्य सौंपा गया ।

जहां तक यौन उत्पीड़न के आरोपों का संबंध है, दर्ज एफआईआर के आधार पर दिल्ली पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है ।

****